म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड भोपाल

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/632/436 भोपाल, दिनांक 19/03/2020

–:: आदेश ::–

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल एवं समस्त आंचलिक कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ मंडी समितियों में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाकर उसमें नियत समय पर उपस्थिति दर्ज करने हेतु मंडी बोर्ड के आदेश क्रमांक 604 दिनांक 28.05.2018 द्वारा निर्देशित किया गया है।

प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ और परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक/36/प्र.स./स्वा./सत्रह/मेडि–तीन दिनांक 15.03.2020 से निर्देशित किया गया है विश्व स्वास्थ संगठन द्वारा कोरोना वायरस रोग फैलने की गंभीर स्थिति को देखते हुये इसे महामारी घोषित किया गया है। इसमे यह भी निर्देश दिये गये है कि कर्मचारियो की बायोमेट्रिक उपस्थिति दिनांक 31 मार्च 2020 तक बंद की जाये।

अतः उपरोक्त निर्देश के परिपालन में म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल एवं समस्त आंचलिक कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ मंडी समितियों में अधिकारी/कर्मचारी की बायोमेट्रिक मशीन में उपस्थिति दिनांक 31 मार्च 2020 तक बंद की जाती है। इन सभी कार्यालयो में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन के स्थान पर दिनांक 31 मार्च 2020 तक उपस्थिति पंजी में दर्ज की जावेंगी।

उक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जावें।

18.3.20

(संदीप यादव)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/632/437 भोपाल, दिनांक 19/03/2020

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।

1 निज सचिव प्रबंध संचालक, मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
2 अपर संचालक (समस्त), मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
3 संयुक्त संचालक/उप संचालक मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालय ——————/कार्यपालन यंत्री तकनीकी संभाग————————(समस्त)।
4 भारसाधक अधिकारी/सचिव कृषि उपज मण्डी समिति ....जिला.......................... (समस्त)।
5 सहायक संचालक (बोर्ड कार्मिक) मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
6 समस्त अधिकारी/कर्मचारी मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल/आंचलिक कार्यालय/तकनीकी संभाग/मंडी समिति।
7 सूचना पटल।

18.3.20

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल